

प्रारूप IHC-A1

उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक एवं औद्यानिकी उपयोग के लिए औद्योगिक हैम्प की खेती करने व भण्डारण के लिए लाईसेंस दिये जाने हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में,

कलैक्टर,
जनपद.....

आवेदक का सत्यापित फोटो

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक उपयोगिता के लिए औद्योगिक हैम्प की खेती की प्रख्यापित नियमावली वर्ष 2016 के अन्तर्गत औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती एवं औद्योगिक/औद्यानिकी प्रयोजन हेतु अनुमन्य औद्योगिक हैम्प के किसी भाग के भण्डारण हेतु अनुज्ञापन प्रदान करने का कष्ट करें, जिसके लिए आवश्यक सूचनायें निम्नवत् है:-

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. पता स्थाई एवं अस्थाई.....
4. भूमि जिसमें औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती हेतु आवेदन किया गया है, की प्रारिथति का विवरण.....
5. भूमि का खसरा खतौनी का विवरण संलग्न है।
6. भूमि जिसमें खेती की जानी है, के क्षेत्रफल का विवरण संलग्न है। (GPS Coordinates सहित)
7. भण्डारगृह की चौहद्दी एवं प्रारिथति का विवरण संलग्न है।
8. चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न है।
9. यदि औद्योगिक हैम्प के पौधे की अनुबन्धित खेती की जा रही है तो सम्बन्धित इकाई जिसके लिए खेती की जानी है का पूर्ण विवरण।
10. इस आशय का शपथ-पत्र कि आवेदनकर्ता को किसी गैर जमानती अपराध में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही मा० न्यायालय में किसी गैर जमानती अपराध से सम्बन्धित-कोई मामला विचाराधीन है, संलग्न है।
11. आवेदनकर्ता द्वारा इस नियमावली के अतिरिक्त अन्य किसी नियमावली के अधीन औद्योगिक हैम्प की खेती के लिये कोई अन्य अनुज्ञापन प्राप्त नहीं किया गया है, तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र संलग्न है।

औद्योगिक एवं औद्यानिकी उपयोगिता के लिए औद्योगिक हैम्प की खेती के रूप में गेरे द्वारा प्रख्यापित खेत के क्षेत्रफल में औद्योगिक हैम्प के पौधे की खेती करने तथा अनुमन्य क्षेत्रफल से उत्पादित औद्योगिक हैम्प के किसी भाग के भण्डारण, उपभोग एवं विक्रय हेतु प्रचलित नियमों का पालन किया जायेगा।

स्थान.....

जनपद.....

दिनांक.....



आवेदक के हस्ताक्षर

4